

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-5/2075 आ० 24/2015-16-

/रा० पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित।

द्वारा :- *वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- गया जिला के मिर्जा ईकबाल की विधवा द्वारा स्थापित मस्जिद एवं मकबरों के धार्मिक उत्सव तथा अन्य प्रयोजनों पर व्यय हेतु अध्यक्ष, अन्जुमन इमामियाँ, गया को भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा के अन्तर्गत कुल रू० 15,000=00 (पन्द्रह हजार) मात्र की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

मुख्य शीर्ष 2075- विविध सामान्य सवाएँ-101- पुनः गृहीत जागीरों, भूमि, क्षेत्र आदि के स्थान पर पेंशन-0002-उपवर्जित मालिकों को मालिकाना या भत्ते विपत्र कोड एन 2075001010002 मांग सं०-40 के विषय शीर्ष 3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय होगा।

3. अन्जुमन इमामियाँ, गया के लेखा बहियों को देखने का अधिकार अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को होगा।

4. समाहर्ता, गया द्वारा राशि की निकासी कर उक्त राशि का भुगतान अध्यक्ष, अन्जुमन इमामियाँ, गया को किया जायेगा।

5. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्र संख्या-396/वि० दिनांक-24.04.2015 के आलोक में किया जा रहा है।

6. समाहर्ता, गया इस राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकार तथा महालेखाकार बिहार, पटना को भेजेंगे।

7. महालेखाकार द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायी गयी राशि का सामंजन कराने के पश्चात राशि व्यय किया जायेगा।

8. इस विषय पर 15,000=00 (पन्द्रह हजार) रुपये वार्षिक अनुदान की स्वीकृति आवर्तक रूप से करने के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

9. इस विषय पर वित्त विभाग की सहमति गैर सरकारी प्राप्ति संख्या-4048 दिनांक-18.12.2015 के द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-.....51...5/रा0, पटना-15, दिनांक-...27-01-16

*फैक्स
ई-मेल/✓
प्रतिलिपि :-वित्त विभाग, बिहार, पटना/*समाहर्ता, गया/ कोषागार पदाधिकारी,
गया/ अध्यक्ष, अन्जुमन इमामियाँ, गया, शिया मस्जिद, पुरानी जेल खाना, गया को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अध्यक्ष, अन्जुमन इमामियाँ, गया को निदेश दिया जाता है कि उपयोगिता
प्रमाण पत्र तथा उक्त लेखों का अंकेक्षण निबंधित लेखापाल (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) से कराकर
अंकेक्षण प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजा जाय।

(व्यास जी),
प्रधान सचिव।
24-01-2016